न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्वेता चाहैान (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 07 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भीमसिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत, निवासी चाखु तहसील घंटियाली जिला फलौदी		1. पशु चिकित्सालय चाखु जरिये प्रभारी अधिकारी, पशु चिकित्सालय चाखु, तहसील घंटियाली जिला फलौदी 2. प्रशासक, ग्राम पंचायत चाखु पंचायत समिति घंटियाली 3. सचिव / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत समिति घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलौदी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज 1994 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत चाखु द्वारा पट्टा नं. 23 दिनांक 21.01.2003 जारी किया गया।

उपस्थित वकील —ः

प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

अप्रार्थी संख्या 03 की ओर सेः— ग्राम विकास अधिकारी स्वयं उपस्थित।

दिनांकः— 17/3/26

निर्णय

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थीगण भीमसिंह पुत्र श्री गंगासिंह की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत चाखु द्वारा पट्टा संख्या 23 दिनांक 21.01.2003 के विरूद्व पेश की है।

2. अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी के पूर्वजों / परिवार का कब्जा सुद भूखण्ड ग्राम पंचायत चाखु की आबादी भूमि में आया हुआ है। जिसके पास पशु चिकित्सालय चाखु स्थित है। वादग्रस्त भूखण्ड भूमि पर हक व हित निहित है। सरपंच ग्राम पंचायत चाखु द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 34848 वर्गफुट का भूखण्ड बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया। ग्राम पंचायत आलौच्य पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 162 के तहत पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के बाहर जाकिर 34848 वर्गफीट का पट्टा जारी किया हैं। ग्राम पंचायत चाखु द्वारा जारी पट्टा नम्बर 23 विधि विरूद्व व गैर कानूनी एवं कूटरचित जारी किया गया है। पट्टे की प्रति प्राप्त कर निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नोटिस की ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थी संख्या 01 को नोटिस

जिला कलक्टर
फलौदी

प्राप्त होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थिति प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से नहीं दी। ग्राम विकास अधिकारी, चाखू से मूल रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी चाखु ने न्यायालय में पट्टा बुक प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश कर बताया कि ग्राम पंचायत चाखु द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से पट्टा संख्या 23 को सरपंच अकेले द्वारा जारी किया गया है। जो निरस्त योग्य है। आलौच्य पट्टै के सम्बन्ध में न तो ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया और न ही ग्राम पंचायत में आवेदन शुल्क रूपये 25/– जमा करवाये। ग्राम पंचायत द्वारा न ही मौका कमेटी गठित की गई, न ही मौका फीस रूपये 25/– ली गयी , न ही नक्शा बनया गया, न ही नक्शा राशि रूपये 25/– ली गयी, न ही पट्टा के संबध में कोई उजर ऐतराज सुना गया । सरपंच अकेले न बिना प्रक्रिया किये राजनैतिक चेहते को पट्टा जारी कर दिया। आलौच्य पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 162 के तहत पट्टा जारी किया है उक्त पट्टा ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 34848 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है। जो निरस्त योग्य है। इसलिए विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

5. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं निगरानी याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव ग्राम विकास अधिकारी चाखु से प्राप्त पट्टा बुक का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी लिखित बहस में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।

6. अप्रार्थी को ग्राम पंचायत चाखु द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 162(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 162 (1) के अनुसारः–

   1. पंचायत, आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्गगज तक की भूमियां, संबन्धित जिलापरिषद द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन, विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।
   2. कोई भी अन्य निःशुल्क रियायती कीमत पर आंटन केवल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किये जायेगें।

   निगरानीधीन याचिका में पशु चिकित्सालय चाखु के नाम निःशुल्क पट्टा 34848 वर्गफीट भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा नियम 162 (1) के तहत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत चाखु द्वारा जारी पट्टा भूखण्ड पंचायती राज अधिनियम के नियम 162 (1) के निर्धारित मापदण्ड से अधिक भूमि का जारी किया गया है।

7. राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार (जिला कलक्टर को शक्तियां प्रत्यायोजित है) स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये जाने पर किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था

जिला कलक्टर
फलौदी

या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने की लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामलें में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसी किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। इसी प्रकार उप धारा 2 में ऐसे किसी भी निर्णय या आदेश के निष्पादन पर रोक लगाये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में विवादित पट्टा व भूखण्ड विक्रय में ग्राम पंचायत के निर्णय के सही होने व उसकी वैधता व औचित्यता के सम्बन्ध में परीक्षण करने की आवश्यकता है।

8. ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा निःशुल्क राजकीय पशु चिकित्सालय चाखू के नाम जारी किया गया है। अतः उक्त भूखण्ड की कब्जे व रिकार्ड की स्थिति यथावत पशु चिकित्सालय के पास रखना न्यायालय उचित समझता है। परन्त ग्राम पंचायत द्वारा पशु चिकित्सालय के नाम भूखण्ड पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 162 (1) के निर्धारित मापदण्ड का पालना नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका स्वीकार कर पत्रावली विकास अधिकारी, पंचायत समिति घंटियाली को इस आदेश के प्रति प्रेषित की जाती है कि पशु चिकित्सालय चाखु के पक्ष में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत भूखण्ड का नियमानुसार, विधि प्रक्रिया अपनाते हुए नये सिरे से पट्टा जारी करे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 17/3/26 सरे इजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर फलौदी